फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

भींवसिंह बनाम लूण सिंह

किस्म मुकदमा– 225 आरटीए **नम्बर...80/...2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.19	अभिभाषक अपीलांट श्री रणजीत सिंह निर्वाण उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट को पत्राली पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम सियाणा जोधासर के खेत खरा नम्बर 36 में से नवीन रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर तहसीलदार से मौके व रिकार्ड की स्थिति व डीएलसी दर के आधार प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ता कायम करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज करते हुए आदेश दिनांक 18–07–2019 जिसके अनुसार नवीन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश प्रदान किये गये थे की पालना सुनिश्चित करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रदार अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही की जा रही है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगस्त भूमि ग्राम सियाणा जोधासर के खेत खरा नम्बर 36 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। विद्वान अभिभषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट लूणसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार राजस्व कोलायत से मौका एवं रिकार्ड की स्थिति एवं डीएलसी दर के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रथम पेशी पर ही आदेशित किया गया। उक्त आदेश के संबंध में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वादगस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने की मांग की गई। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनाक 14-11-2019 को खारिज करते हुए आदेश दिनांक 18-07-2019 की पालना सुनिश्चित करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश राजस्थन काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' की मंशा के विपरीत पारित कि जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

धारा 251 'ए के तहत रास्ता कायम करने से पूर्व यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं अथवा गिरदावर स्तर से सभी पक्षकारों की मौजूदगी में मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जावे। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 'ए' के इस आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर कार्यवाही किया जाना परिलक्षित होता है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए उनके समक्ष जैरकार प्रकरण संख्या 8/2019 उनवान लूणसिंह बनाम बलजीत का विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30-12-2019 को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मली दाखिल दफत् हो।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.09 15:35:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: